न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, बलरामपुर।

उपस्थितः श्री अमित वर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सिविल अपील संख्या–28/2016

राज कुमार वर्मा आदि ––– अपीलार्थीगण

प्रति

श्रीमती रीता देवी शुक्ला आदि ––– प्रत्यर्थीगण

दिनांक 24.09.2019

आदेश

पुकार करायी गई। अधिवक्ता पक्षकार हाजिर। प्रार्थना पत्र **23क** पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थना पत्र 23क मय शपथ–पत्र 24ग वास्ते संशोधन मूल वाद पत्र संख्या 643/1994 गीता देवी बनाम रीता देवी आदि में अपीलार्थीगण की ओर दाखिल किया गया है जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि उपरोक्त अपील सं0 29/16 अपील नं0 28/16 के साथ एकजाई होकर सुनवाई हेतु नियत है। अंतिम बहस होनी है, बहस तैयार करते समय अपील नं0 28/16 जो मूल वाद संख्या 643/1994 सीता देवी बनाम रीता देवी की अपील है, मूल वाद संख्या 30/86 एवं 643/1994 एकजाई करके अवर न्यायालय में निस्तारित किया। अग्रणी वाद 30/86 था, जिसमें सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। बहस तैयार करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि मूल वाद संख्या 643/1994 के अभिवचन पर अवर न्यायालय में साक्ष्य नहीं लिए, जो साक्ष्य आया वह दोनों वादों के एकजाई होने के कारण मूल वाद संख्या 30/86 में ही आया, परन्तु अवर न्यायालय ने उसी साक्ष्य के आधार पर मूल वाद संख्या 643/1994 भी निस्तारित किया है। पश्चात्वर्ती वाद होने के कारण अवर न्यायालय का ध्यान नहीं गया और इसी कारण मूल वाद संख्या 643/1994 में संशोधन नहीं किया जा सका।

प्रार्थी अपीलार्थीगण बहुत ही कम पढ़े–लिखे हैं वह उस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे सके कि मूल वाद 643/1994 में भी इस तथ्य का संशोधन करना नितान्त आवश्यक है विवादित विक्रय–विलेख का गाटा संख्या चकबन्दी व पूर्व गाटा संख्या 1628 था, जिसमें नया नम्बर 658 बनाई तथा गाटा संख्या 1628 चकबंदी से प्रथम होने के कारण केवल उसका नम्बर बदला गया अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई अर्थात् उस पर चकबंदी का प्रभाव नहीं हुआ। इसी कारण उक्त 658 गाटा रामप्यारी के नाम से चलते–चलते ठाकुर प्रसाद के नाम पहुंच गया। उक्त तथ्य का संशोधन मूल वाद संख्या 643/94 में करना नितान्त आवश्यक है। प्रकरण वर्ष 2002 के पूर्व का है इस कारण 2002 में सी0पी0सी का संशोधन उस पर लागू नहीं होता। साथ ही साथ मात्र स्पष्टीकरण से वाद की प्रकृति नहीं बदलती। और

न अतिरिक्त साक्ष्य ही आना है।

अतः मूल वाद 643/1994 में नियत लिखित संशोधन वाद पत्र में करने की अनुमति देने की कृपा की जावे।

अपीलार्थी ने मूल वाद सं0–643/1994 में निम्नलिखित संशोधन किए जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की है।

वांछित संशोधन

1. वाद पत्र की धारा 1 की तीसरी लाइन में प्रतिवादी नं0–2 तथा ने के पूर्व ''के पूर्वज रामप्यारी ने गाटा सं0–658 के पूर्व पुराने नम्बर 1628 का बयनामा चौहद्दी के आधार पर वादी प्रार्थीगण के पूर्वज नाना सुरजू पुत्र रामनारायन के पक्ष में बयनामा कर दिया है तथा कब्जा व दखल दे दिया था" तथा इसी धारा में भूमि व वादनी के मध्य "मृतक सीता देवी" लिखने की आज्ञा।

2. धारा 1 तीसरी लाइन में प्रतिवादी नं0 2 तथा, था के बीच "की पूर्वज रामप्यारी"

3. वाद पत्र की धारा 2 में तीसरी लाइन में 658/0.08 तथा जो बीच "जिसका पुराना नं0 में चकबन्दी के पूर्व 1628 था तथा इसकी किसी रामप्यारी द्वारा करने की बात की जानकारी ठाकुर प्रसाद को थी तथा सुरजू पुत्र रामनारायन का मकान बना था" लिखने की अनुमति।

प्रत्यर्थीगण/आपत्तिकर्तागण की ओर से अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र संख्या 23क पर आपत्ति–पत्र 26ग मय शपथ–पत्र 27 ग दिया गया है। प्रत्यर्थीगण/आपत्तिकर्तागण द्वारा अपने आपत्ति–पत्र बाबत संशोधन मूल वाद पत्र संख्या 643/1994 सीता देवी बनाम रीता देवी आदि में कथन किया गया है कि :–

1. संशोधन प्रार्थना पत्र मात्र उपरोक्त अपील को लम्बित रखने के लिये किया गया है, जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। इस कारण संशोधन पत्र निरस्त करने योग्य है।

2. मूल वाद संख्या 30/86 एवं मूल वाद संख्या 643/1994 अवर न्यायालय के समक्ष काफी समय से लम्बित रहने के पश्चात 19.08.2018 को अग्रणी वाद संख्या 30/86 के साथ लीडिंग केस मानते हुये गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया गया जिसमें वादीगण को सम्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया और 38 वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात उक्त वाद को निष्पादित किया। और गुणदोष के विस्तृत विवेचना के पश्चात मुझ प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य खसरा खतौनी व विक्रय पत्र के आधार पर मुझ प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया उसी साक्ष्य के आधार पर वाद उपरोक्त

निस्तारित किया गया है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से अपीलकर्तागण द्वारा स्वीकार किया गया है, कि उपरोक्त दोनों वाद एक्जाई करके गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित किया गया, जो साक्ष्य 30/1986 में आया और जो साक्ष्य 643/1994 में आया वो दोनों वादों में पढ़ा गया और उसका सम्यक परिशीलन किया गया। तत्पश्चात् निर्णय प्रदान किया गया वर्तमान समय में अब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यवाही अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है इस प्रकार से विधि के अनुसार अब मूल वाद में संशोधन किया जाना सम्भव नही है।

3. सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र अस्पष्ट और भ्रामक है।

4. वांछित संशोधन में जो संशोधन चाहा गया है, तो एकदम नया तथ्य है इस कारण से वाद की प्रकृति बदल जायेगी अतएव किसी भी प्रकार से मूल वाद संख्या 643/1994 में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

5. अपील में निर्णय को अन्डर चैलेन्ज किया गया ना कि मूल वाद में संशोधन व लेकुना फिलअप करने के लिए अपील प्रस्तुत नही की गयी है।

प्रत्यर्थीगण/आपत्तिकर्तागण के द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना—पत्र 23 क निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित विधि—व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया है—

1- Abdul Rehman and another Vs. Mohd. Ruldu and others [2012(30)LCD 2032] Supreme Court.

2- Varun Pahwa Vs. Mrs. Renu Chaudhary [2019(37) LCD 589] Supreme Court.

3- State Bank of Hyderabad Vs. Town Municipal Council [2007(1)SCD 229] Supreme Court.

4- Puran Ram Vs. Bhaguram and another [2008(1)SCD 620] Supreme Court.

रेस्पान्डेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा जो संशोधन मूल्य वाद में याचित किया गया है वह लम्बे समय के पश्चात् दिया गया है और स्वच्छ हाथों से नही दिया गया है। साथ ही साथ यदि मूल वाद में याचित संशोधन लम्बे समय बाद स्वीकृत किया जाता है तो वाद के प्रकृति बदल सकती है और वाद गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है। आपत्तिकर्ता/रेस्पान्डेन्ट का यह कहना भी उचित प्रतीत होता है कि चकबन्दी की प्रक्रिया सन् 1984 में पूर्ण हो चुकी है जो साक्ष्य 30/1986 में आया और जो साक्ष्य 643/1994 में आया उनका सम्यक परिशीलन करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया गया है अतः इस स्तर पर मूल वाद में संशोधन किया जाना

संभव नहीं है।

यह सही है कि न्यायालय को संशोधन प्रार्थना पत्र के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए लेकिन प्रार्थीगण द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि किन परिस्थितियों में इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात् प्रार्थीगण को संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विचार ही नहीं आया। प्रार्थी/अपीलार्थीगण का यह कहना कि वह बहुत कम ही पढ़े लिखे लोग है और इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे सके कि मूल वाद सं0 643/1992 में भी संशोधन करना नितांत आवश्यक है उनके प्रार्थना पत्र को कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करता। न्यायालय को प्रार्थना पत्र वास्ते किये जाने संशोधन मूल वाद स्वीकार करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि वांछित संशोधन आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता कि मूल अवधारणा के विपरीत तो नहीं है। दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 17 निम्न प्रकार है— **Order VI Rule 17 Amendment of Pleadings**

The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties.

Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.

जहां तक प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि प्रार्थीगण बहुत कम पढ़े लिखे लोग है, विधि का सुस्पष्ट सिद्धांत है "**Ignorantia juris non excusat".**

आपत्तिकर्ता/रेस्पान्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **2018 (1) CAR 631(All) Jokhu and others Vs. Patiraji and others** की विधि व्यवस्था के आधार पर कहा गया कि प्रार्थना पत्र बहुत अधिक विलंब के पश्चात दिया गया है और यदि इस स्तर पर इसे स्वीकार किया जाएगा तो वाद/अपील का निस्तारण कभी नहीं हो पायेगा।

पत्रावली के परिशीलन एवं रेस्पान्डेन्ट्स की आपत्ति के आलोक में प्रस्तुत **प्रार्थना–पत्र 23क** खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस 10.10.2019 पेश हो।

(अमित वर्मा)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय, प्रथम
बलरामपुर।

दिनांक–24.09.2019